न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–189/2014

CIS NO. TS 446/2018

आशा कुअँर एवं अन्य...वादीगण

बनाम

शम्भु साह एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
16.08.2024	वादीगण की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 04.06.2024 संबंधित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 04.06.2024 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद एक पक्षीय बहस हेतु नियत है। बहस के दौरान वादी की तरफ से एक मूल दस्तावेज दिनांक 23.02.1959 चन्दू जीत साह बनाम केश्वर साह जिसका जिक्र वादपत्र के पारा न0–02 में किया गया है, भूलवश जमा करना छुट गया है, जो 60 साल पुराना दस्तावेज है, जो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उपरोक्त दाखिल मूल दस्तावेज की सच्ची प्रतिलिपि को ग्रहण करते हुये प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाय। इसके लिए वादीगण श्रीमान् के सदैव आभारी रहेंगे। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख बहस हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। वादीगण द्वारा दाखिल दस्तावेज वाद से संबंधित होना प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 04.06.2024 स्वीकार करते हुये दाखिल दस्तावेज ग्रहण कर प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 09.009.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	